No. 28HA/63-F/1448.—Whereas the land described in the Haryana Government Notification No. 28/HA/63-F/1003, dated 28th October, 1980 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894, has been declared to be needed by the Government as public expense, for public purposes, namely, for constructing a link road from Rattangarh to village Bhunderwas in village Rattangarh and Bhunderwas, Tehsil Ratia, District Hissar.

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar is also hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

No. 28HA/63-F/1449.—Whereas the land described in the Haryana Governmment Notification No. 28 HA/63-F/1004, dated 28th October, 1980 issued under section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 has been declared to be needed by the Government, at public expenses, for public purposes, namely, for constructing a link road from Bhuthan Kalan to village Palsar in village Bhuthan Kalan and Palsar, tehsil Fatehabad/Ratia, district Hissar.

In exercise of the powers conferred by section 7 of the Land Acquisition Act, 1894, the District Revenue Officer-cum-Land Acquisition Collector, Hissar is also hereby directed to take order for the acquisition of the said land.

(Sd.) . . .,
Superintending Engineer,
Hissar Circle, P. W. D., B. & R. Branch,
Hissar.

श्रम विभाग

आदेश

दिनांक 31 जुलाई, 1984

सं० ओ.वि./एफ.डी./114-84/27578.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि मै. परफैक्सन टूनों इन्जीनियर्स 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद के श्रमिक श्री भगवान सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम-68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुये अधिसूचना सं० 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है :—

क्या श्री भगवान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./एफ.डी./114-84/27585.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० परफैक्सन टूनों इन्जीनियर्स 14/4, मथुरा रोड, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री बाबू सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-श्रम/68/15254, दिनांक 20 जून, 1968 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495-जी-श्रम-57/11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा उक्त अधिनियम, की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है ;—

क्या श्री बाबू सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?